न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —55/2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/77

मोहनलाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा निवासी नान्दना उर्फ बडगांव तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. गोपाली बाई पुत्री जगन्नाथ माता भूली पत्नी स्व0 रामगोपाली जाति मीणा निवासी नान्दना उर्फ बडगांव तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान हाल निवासी ग्राम रजवास थाना रायथल जिला बून्दी
2. अशोक मीणा पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी नान्दना उर्फ बडगांव तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. नन्दकिशोर दत्तक पुत्र गोविन्दलाल निवासी नान्दना उर्फ बडगांव तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व इंतकाल नम्बर 306 आदेश दिनांक 27.06.2019 तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

उपस्थितः—

1. श्री अशोक कुमार मीणा, तुषार बैरागी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मुकेश मीणा, अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण क0सं0 1

निर्णय

दिनांक— 15.04.2026

1 अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम देवनगर पटवार हल्का गिरधरपुरा स्थित खाता संख्या 20 के खसरा नम्बर 44 रकबा 1.44 हे0 शामलाती खातेदारी से भूली बाई बेवा जगन्नाथ जाति मीणा के नाम 2/3 हिस्से से दर्ज रिकार्ड थी, खातेदार भूली बाई फोत होने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा फौती नामान्तरकरण मुताबिक सजरा व रिपोर्ट पटवारी के नामान्तरकरण संख्या 306 दिनांक 27.5.2019 को दर्ज कर दिनांक 3.6.202019 को स्वीकृत किया गया ।

2 उपरोक्त नामान्तकरण सं0 306 दिनांक 27.05.2019 की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 09.06.2025 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है कि ग्राम देवनगर स्थित आराजी खसरा संख्या 44 रकबा 1.44 हे0 किस्म नहरी प्रथम अपीलांट की माता मु. भूली बेवा जगन्नाथ जाति मीणा के खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है । मु. भूली बाई बेवा जगन्नाथ का देहावसान हो चुका है और कानूनन अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति के देहावसान के पश्चात विरासत पुत्र वारिस के जीवित होने पर पुत्र के वारिस को ही प्राप्त होगी, पुत्रीयों को विरासत प्राप्त नहीं होगी और मु0 भूली बाई बेवा जगन्नाथ के दो पुत्र अपीलान्ट व पुत्र गोविन्दलाल पुत्रान जगन्नाथ को प्राप्त हुई है और रेस्पो0 कम 3 दत्तक पुत्र है, इसलिये उक्त भूमि मु0 भूली बाई पत्नी जगन्नाथ के देहान्त के पश्चात पुत्र वारिस अपीलान्ट व रेस्पो0 कम 3 को प्राप्त होगी । उक्त भूमि में रेस्पो0 कम 1 का कोई भी विधिक हक हिस्सा निहित नहीं बनता है किन्तु फिर भी तहसीलदार लाडपुरा के द्वारा पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से अपीलान्ट की माता मु0 भूली बाई बेवा जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 306 दिनांक 27.5.2019 को अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाते हुए अपीलान्ट व स्वर्गीय पुत्र गोविन्दलाल के साथ साथ रेस्पो0 नं0 1 गोपाली बाई के नाम भी तस्दीक

कर दिया गया है जो गैर कानूनी होने से व तहसीलदार लाडपुरा के क्षैत्राधिकार से बाहर का होने से तथा निरस्त योग्य होने का तथ्य प्रकट करते हुए यह अपील प्रस्तुत की है।

3 वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि एवं संचिका में प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भली भांति स्पष्ट था कि मृतक खातेदार मु. भूली बाई बेवा जगन्नाथ अनुसूचित जन जाति मीणा जाति की सदस्य है और कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के अनुसार अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है बल्कि अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर पुरानी हिन्दू विधि लागू होती है और कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अनुसूचित जन जाति मीणा जाति के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी सम्पत्तियों में पुत्रीयों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी स्थिति को नजर अंदाज कर पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से मृतक खातेदार मु. भूली बाई बेवा जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 306 दिनांक 27.5.2019 को अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाते हुए अपीलान्ट व स्वर्गीय पुत्र गोविन्दलाल के साथ साथ रेस्पो0 नं0 1 गोपाली बाई के नाम भी तस्दीक कर दिया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने कई निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में पुत्र वारिस के जीवित होने पर विरासत में केवल पुत्र वारिसान को ही हक अधिकार प्राप्त होते है तथा पुत्रीयों को विरासत में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 विवाह होकर काफी समय से अपने ससुराल में निवास करती है, अपीलान्ट की उक्त आराजी में रेस्पो0 क्रम 1 का कोई भी हक अधिकार निहीत नहीं है । उक्त आराजी में रेस्पो0 क0 1 को कोई भी विधिक अधिकार निहित नहीं है किन्तु रेस्पो0 क्रम 1 उक्त आलोच्य नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये नाम का फायदा उठाकर उक्त भूमि को बैचान व खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रही है । वकील अपीलांट ने मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में पृथक से लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के व कम पढे लिखे व्यक्ति है जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है अभी हाल ही में अधिवक्ता महोदय के द्वारा जानकारी दिये जाने पर अपीलान्ट के द्वारा उक्त आलौच्य नामान्तरकरण की नकल दिनांक 20.5.2025 को प्राप्त कर यह अपील पेश की जा रही है जो प्रथम जानकारी से अवधि मध्य पेश है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसील लाडपुरा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 306 दिनांक 27.5.2019 से खसरा संख्या 44 की रकबा 1.44 हे0 वाके ग्राम देवनगर पटवार हल्का गिरधरपुरा की भूमि को मु. भूली बाई बेवा जगन्नाथ के हिस्से में से रेस्पो0 क्रम 1 गोपाली बाई पुत्री जगन्नाथ के दर्ज किये गये 1/9 हक हिस्सा आराजी को अपीलान्ट मोहनलाल एवं रेस्पो0 क्रम 3 नन्दकिशोर दत्तक पुत्र गोविन्दलाल के नाम बहिस्सा बराबर 1/18 1/18 दर्ज किये जाने के आदेश पारित करें ।

4 वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भली न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसके प्रकरण संख्या 85/2022 उनवान मोहनलाल बनाम अशोक मीना वगै0 था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 13.2.2024 को निर्णय पारित किया जाकर अपील खारिज की जा चुकी है । फिर भी अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 13.2.2024 को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं कर पुनः न्यायालय हाजा में ही यह अपील प्रस्तुत कर दी गई है जबकि उक्त वर्णित नामान्तरकरण संख्या 603 की अपील में प्रस्तुत होकर अपील खारिज हो चुकी है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर न्यायालय हाजा का समय बर्बात किया है, प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय हो जाने से Resjudicata का सिद्वान्त लागू होने से अपील खारिज फरमाई जावें । वकील रेस्पोडेन्ट ने पूर्व निर्णय दिनांक 13.2.2024 की प्रति फर्द के साथ प्रस्तुत की है जो पत्रावली संलग्न है ।

। वकील रेस्पोडेन्ट ने पूर्व निर्णय दिनांक 13.2.2024 की प्रति फर्द के साथ प्रस्तुत की है जो पत्रावली संलग्न है ।

5 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 603 दिनांक 27.5.2019 स्वीकृत दिनांक 03.6.2019 के विरूद्व दिनांक 09.06.2025 को लिमिटेशन की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जो निर्धारित मियाद अवधि में नहीं है । मियाद के शमन के लिए धारा 5 के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए विलम्ब के लिए कारण बताया है कि प्रार्थी को अधिवक्ता महोदय द्वारा बताने पर होना अंकित किया है तथा प्रथम जानकारी दिनांक 20.5.2025 को नकल प्राप्त करने पर होना बताया है, मियाद के लिए बताये गये कारण ठोस आधार नहीं है । इसके विपरीत दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रकट किये तथ्य अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण की अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसके प्रकरण संख्या 85/2022 उनवान मोहनलाल बनाम अशोक मीना वगै0 था, जिसमें न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 13.2.2024 को निर्णय पारित किया जाकर अपील खारिज की जा चुकी है । इस प्रकार अपीलांट ने पूर्व निर्णय दिनांक 13.2.2024 के तथ्य को छुपाते हुए पुनः यह अपील प्रस्तुत कर दी गई है जबकि वर्णित नामान्तरकरण संख्या 603 ग्राम देवनगर के सम्बन्ध में पूर्व में इस न्यायालय से निर्णय दिनांक 13.2.2024 पारित होकर अपील खारिज की गई थी । प्रस्तुत अपील Resjudicata के तहत खारिज योग्य है ।

6 उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 603 ग्राम देवनगर दिनांक 27.5.2019 स्वीकृत दिनांक 3.6.2019 की अपील पूर्व में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होकर प्रकरण संख्या 85/2022 निर्णय दिनांक 13.2.2024 से निर्णय पारित किया जाने से प्रस्तुत अपील Resjudicata के तहत खारिज की जाती है ।

7 निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा